भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2313

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया ऋण योजना

2313. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री मुकेश राजपूत:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्रीमती संध्या राय:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया ऋण योजनाओं ने विशेषकर मध्य प्रदेश के दतिया और भिंड जिले में महिलाओं की आर्थिक उन्नति और उद्यमिता संबंधी आकांक्षाओं को किस प्रकार सुकर बनाया है;

(ख) इन योजनाओं ने विशेषकर मध्य प्रदेश के दतिया और भिंड जिले में औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को किस हद तक उत्प्रेरित किया है और उन्हें व्यवसायी के साथ-साथ रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बनाया है; और

(ग) मध्य प्रदेश और उक्त जिलों में महिलाओं के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और विगत चार वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): बेहतर ऋण की पहुंच समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ दिनांक 8.4.2015 को आय सृजन की गतिविधियों के लिए लघु/सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई) योजना का शुभारंभ दिनांक 5.4.2016 को ग्रीन फील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करके महिलाओं और एससी/एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

इन योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य महिलाओं का उत्थान करना है। पीएमएमवाई के माध्यम से सूक्ष्म-ऋण प्रदान करके महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, आय और रोजगार की क्षमता को बढ़ाया और इस प्रकार उन्हें वित्तीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाया। महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को कम से कम एक ऋण प्रदान करने का लक्ष्य आवंटित करके, एसयूपीआई ने ऋणदाताओं को ग्रीन-फील्ड परियोजनाओं हेतु महिला उद्यमियों को वित्तपोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो महिलाओं और महिलाओ द्वारा संचालित उद्यमों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में दूरगामी प्रभाव डालता है।

दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत किए गए कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से महिलाओं को 30.64 करोड़ (69%) स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, एसयूपीआई के अंतर्गत, दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार,स्वीकृत 2.09 लाख ऋणों में से महिला उद्यमियों को 1.77 लाख (84%) ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएमवाई और एसयूपीआई योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य तथा दतिया और भिंड जिलों में महिलाओं को स्वीकृत की गई ऋणों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

उपरोक्त के अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश भर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं भी लागू की जा रही हैं:-

i. **पीएम स्वनिधि** का शुभारंभ 1 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को तीन किस्तों, अर्थात पहली किस्त में 10000 रुपए तक, दूसरी किस्त में 20,000 रुपए तक और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए तक, का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था।

ii. **पीएम विश्वकर्मा** का शुभारंभ 17 सितंबर, 2023 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, आधुनिक औजार, बाजार संबद्ध सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर 18 अभिचिह्नित व्यवसायों से जुड़े पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अद्योपांत समग्र सहायता प्रदान करना है।

iii. **स्वयं सहायता समूह- बैंक संबद्ध कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी)** ने महिलाओं को बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूंजी बनाने में मदद करके उनके जीवन में सुधार किया है।

iv. **नाबार्ड का सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी):** नाबार्ड पूर्ण विकसित एसएचजी के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी) में सहायता कर रहा है जो पहले से ही बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

v. **आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी):** वर्ष 2015 में शुरू एलईडीपी में समूहों में आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन की परिकल्पना की गई है। यह कृषि और कृषि से इतर गतिविधियों में आजीविका सृजन को बढ़ावा देता है और दो ऋण चक्रों में गहन कौशल निर्माण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, एंड-टू-एंड समाधान और हैंडहोल्डिंग और एस्कॉर्ट सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करता है।

vi. **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** पीएमजेडीवाई योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को प्रत्येक बैंक रहित वयस्क को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यह योजना निःशुल्क और न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता के बिना बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है। जन धन खाते खोलने से समाज के असंगठित वर्गों के बीच विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज में सुविधा हुई है, जिसमें ,अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी अभिदान देने वाले बैंक/डाकघर खाताधारकों को 436/- रुपये प्रति ग्राहक प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये का एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के बैंक/डाकघर खाताधारकों के लिए उपलब्ध है जो आटो-डेबिट से जुड़ने/उसे समर्थ बनाने के लिए अपनी सहमति देंगे। इस योजना के अंतर्गत 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर जोखिम कवरेज दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाताओ को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह के बीच गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है।

*****

"दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार, योजना के आरंभ से मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया ऋण योजना" के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2313 के संदर्भ में उल्लिखित सूचना के लिए अनुबंध (वास्तविक राशि)							
क्रम सं.	योजना	मध्य प्रदेश		दतिया		भिंड	
		ऋण खातों की कुल सं.	महिला ऋण खाते	ऋण खातों की कुल सं.	महिला ऋण खाते	ऋण खातों की कुल सं.	महिला ऋण खाते
1.	पीएमएमवाई (लाख)	268.85	189.19	0.91	0.40	0.48	0.11
2.	एसयूपीआई (वास्तविक)	9826	7735	52	44	120	95